

कार्यालय: मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :- 1669

दिनांक :- 07/06/2022

आदेश

मैं, राकेश गोरा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 19(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के अनुमोदन आदेश के अनुक्रम में जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र में जयपुर मुख्यालय पर स्थित विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट केसेज) न्यायालयों के मध्य कार्य के समानीकरण एवं प्रशासनिक प्रयोजनों से पूर्व प्रसारित क्षेत्राधिकार प्रदत्त संबंधी आदेशों को आंशिक रूप से इस आदेश की सीमा तक अतिलिखित करते हुये कॉलम संख्या-03 में अंकित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या-02 में अंकित न्यायालय को निम्न प्रकार प्रदत्त करता हूँ:-

क्र०सं०	नाम न्यायालय	आरक्षी केन्द्र का नाम, जिनसे संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है
(01)	(02)	(03)
01.	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) <u>क्रम-3</u> , जयपुर महानगर प्रथम	श्याम नगर
		सोडाला
02.	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) <u>क्रम-6</u> , जयपुर महानगर प्रथम	ट्रांसपोर्ट नगर
		महेश नगर
03.	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) <u>क्रम-08</u> , जयपुर महानगर प्रथम	विधायकपुरी
04.	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) <u>क्रम-9</u> , जयपुर महानगर प्रथम	जवाहर सर्किल
		बजाज नगर
		मोती झूंगरी
05.	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) <u>क्रम-10</u> , जयपुर महानगर प्रथम	शिप्रा पथ
		मालवीय नगर
		गाँधी नगर
		लालकोठी
06.	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) <u>क्रम-13</u> , जयपुर महानगर प्रथम	अशोक नगर

नोट :-

1. उक्त आदेश दिनांक 09.06.2022 से प्रभावी होगा तथा दिनांक 09.06.2022 से पूर्व अर्थात् दिनांक 08.06.2022 तक के परिवाद आदि समस्त कार्यवाहियां पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सम्पादित की जावेंगी तथा दिनांक 09.06.2022 एवं उसके बाद प्रस्तुत परिवाद आदि समस्त कार्यवाहियां इस आदेश द्वारा प्रदत्त नवीन क्षेत्राधिकार प्राप्त करने वाले न्यायालयों के द्वारा की जावेगी।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश द्वारा जयपुर महानगर प्रथम के थाना क्षेत्र की सीमाओं पर अधिकारिता रखने वाले वर्तमान न्यायालयों का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त किये जावेंगे।

—Sd—
(राकेश गोरा, आर.जे.एस.)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक :- 1670 +0 1681

दिनांक :- 07/06/2022

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम।
2. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
3. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
4. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर
5. समस्त विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-1 लगायत 13, जयपुर महानगर प्रथम।
6. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
7. उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क, जयपुर महानगर प्रथम
9. समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर प्रथम।
10. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किए जाने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड।
12. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली


(राकेश गोरा, आर.जे.एस.)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम